



राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड चित्तौड़गढ़

मण्डल की चित्तौड़गढ़, निम्बाहेड़ा एवं बड़ीसादड़ी की निम्नलिखित आवासीय योजनाओं में पंजीकृत/अपंजीकृत आवेदकों के लिए नगद भुगतान पद्धति पर खुली बिक्री योजना में शेष फ्लेटों/आवासों के आवंटन का स्वर्णिम अवसर

आवेदन पत्र बिक्री/प्राप्त करने की प्रारम्भ तिथि (कार्य दिवस/समय में)
दिनांक 20.02.2019

"पहले आओ
पहले पाओ"
के आधार पर

आवेदन पत्र बिक्री/प्राप्त करने की अंतिम तिथि (कार्य दिवस/समय में)
दिनांक 29.03.2019

क्र. सं.	श्रेणी	उपलब्ध आवास/फ्लेटस संख्या	संख्या	आवास/फ्लेट का निर्मित क्ष. (व.मी.)	आवास/फ्लेट की लागत	आवेदन पत्र के साथ देय पंजीकरण राशि एवं पूर्वग्रहण राशि + प्रशासनिक शुल्क	नगद भुगतान में तीन माह में जमा करने की राशि
1. सैंती सेगवा, चित्तौड़गढ़							
1	EWS	3-D-30, 42, E-11 & 3-G-36	6	4.00 x 9.00 (P.A. 15.687 Sqm.)	5,34,000/-	12000/- + 500/-	5,22,000/-
		2-E-260 & 267		3.75 x 11.25 (P.A. 14.44 Sqm.)	3,93,500/-	12000/- + 500/-	3,81,500/-
2	LIG	3-B-17, 26, 28 & C-15	4	6.00 x 12.00 (P.A. 40.05 Sqm.)	13,25,400/-	25000/- + 700/-	13,00,400/-
3	MIG-A	3-B-11, L-10, 14, 15, 17 & 19	6	6.00 x 15.00 (P.A. 56.40 Sqm.)	19,85,300/-	90000/- + 1000/-	18,95,300/-
4	MIG-B	2-B-07, 08 & 10	3	9.00 x 18.00 (P.A. 75.21 Sqm.)	23,36,900/-	150000/- + 1500/-	21,86,900/-
5	HIG	2-A-05	18	12.00 x 21.00 (P.A. 103.28 Sqm.)	41,13,000/-	220000/- + 2000/-	38,93,000/-
		2-B-18, 3-A-05, 10, 12 to 16, 18, 19, 21, 24 to 26, 29, 3-H-07 & 08		10.50 x 18.00 (P.A. 122.905 Sqm.)	52,29,100/-	220000/- + 2000/-	50,09,100/-
2. अटल नगर, निम्बाहेड़ा							
1	EWS	2/16, 26, 32, 108	4	3.75 x 8.00 (P.A. 14.06 Sqm.)	3,52,400/-	12000/- + 500/-	3,40,400/-
2	LIG	3/330-E, 331 & 465	3	6.00 x 15.00 (P.A. 68.050 Sqm.)	19,61,900/-	25000/- + 700/-	19,36,900/-
3	LIG (G+3)	4/F/02, 03, 08 & 16 (First Floor)	18	11.790 Sqm. (P.A. 47.15 Sqm.)	12,07,800/-	25000/- + 700/-	11,82,800/-
		4/S/01,3 to 07 (Second Floor)		9.430 Sqm. (P.A. 47.15 Sqm.)	11,88,400/-	25000/- + 700/-	11,63,400/-
		4/T/02, 03, 08, 11, 12 & 14 to 16 (Third Floor)		4.720 Sqm. (P.A. 47.15 Sqm.)	11,49,800/-	25000/- + 700/-	11,24,800/-
4	MIG-A	3/387	3	8.00 x 15.00 (P.A. 73.48 Sqm.)	27,04,200/-	90000/- + 1000/-	26,14,200/-
		2/272 & 5/109		8.00 x 15.00 (P.A. 84.907 Sqm.)	31,26,400/-	90000/- + 1000/-	30,36,400/-
5	MIG-A (Duplex)	6/11-A, 17 to 26, 29-A, 30 to 34, 36, 37-A, 38, 40, 41, 43 to 45, 47 to 52, 54 to 56, 58 to 61, 63, 66, 67, 69, 70, 70-A 71 & 72	46	6.00 x 15.00 (P.A. 86.72 Sqm.)	28,74,000/-	90000/- + 1000/-	27,84,000/-

6	MIG-B	1/115	1	9.00 x 18.00 (P.A. 64.75 Sqm.)	23,39,300/-	150000/- + 1500/-	21,89,300/-
7	MIG-B (Duplex)	6/92, 93, 99 & 100	4	8.00 x 15.00 (P.A. 122.95 Sqm.)	41,36,000/-	150000/- + 1500/-	39,86,000/-
8	HIG	4/137 to 142	8	11.25 x 21.00 (P.A. 169.92 Sqm.)	66,04,500/-	220000/- + 2000/-	63,84,500/-
		4/113 & 114		11.25 x 21.00 (P.A. 132.454 Sqm.)	57,47,900/-	220000/- + 2000/-	55,27,900/-
3. बडी सादडी							
1	EWS	3/70	7	3.75 x 8.00 (P.A. 14.90 Sqm.)	2,98,200/-	12000/- + 500/-	2,86,200/-
		3/02, 07, 19, 37, 39 & 45		4.50 x 11.25 (P.A. 15.15 Sqm.)	4,39,100/-	12000/- + 500/-	4,27,100/-
2	EWS-I	3/99 to 102, 104, 107, 109, 113 to 115 & 117 to 119	27	3.75 x 8.00 (P.A. 24.65 Sqm.)	5,55,600/-	12000/- + 500/-	5,43,600/-
		3/61, 36, 67, 68, 128, 132, 134, 135, 138, 141, 144, 145, 147 & 148		3.75 x 8.00 (P.A. 25.90 Sqm.)	6,05,900/-	12000/- + 500/-	5,93,900/-
3	EWS-II	2/35 to 41, 43 to 46, 48, 49 & 53	26	4.50 x 11.25 (P.A. 37.79 Sqm.)	8,96,000/-	12000/- + 500/-	8,84,000/-
		3/25-A, 27-A, 28-A, 30- A, 31-A, 32-A & 152 to 157		4.50 x 11.25 (P.A. 38.50 Sqm.)	9,35,500/-	12000/- + 500/-	9,23,500/-
4	LIG	1/01, 01-A, 03 to 05, 07 to 09, 15, 53 to 56, 58 to 63, 2/27, 28, 30, 33 & 34	24	6.00 x 11.25 (P.A. 42.56 Sqm.)	12,58,100/-	25000/- + 700/-	12,33,100/-
5	MIG-A	2/11 to 13 & 15	4	6.00 x 16.00 (P.A. 75.80 Sqm.)	19,61,600/-	90000/- + 1000/-	18,71,600/-

नोट:- उपरोक्त लागत के अतिरिक्त आवंटन पत्र में :

1. लीज राशि, ए.एस.सी. चार्जज, अतिरिक्त भूमि चार्जज एवं कोने के आवास हेतु अतिरिक्त चार्जज नियमानुसार देय होंगे।
2. आवास/फ्लैट की पूर्ण लागत का वस्तु एवं सेवाकर, लीगल चार्जज एवं नक्शे की राशि भी पृथक से नियमानुसार देय होगी।
3. केन्द्रीय/राज्य सरकार द्वारा भविष्य में कर प्रावधानों में किये जाने वाले सभी परिवर्तन लागू होंगे।

आवंटन प्रक्रिया एवं विशेष बिन्दु

1. इस योजना में दिनांक **20.02.2019** से दिनांक **29.03.2019** तक आवेदन पत्र स्वीकार किये जावेंगे।
2. इस योजना के आवेदन फॉर्म दिनांक 20.02.2019 से अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय से 200/- मय जी.एस.टी. 36/- कुल **236/-** रूपये नगद भुगतान पर कार्यालय समय में प्राप्त किये जा सकते हैं। इस योजना में आवास/फ्लैट आवंटन हेतु प्रत्येक कार्य दिवस में सांय 4.00 बजे तक आवेदन स्वीकार किये जावेंगे एवं आवासो/फ्लैटों का आवंटन उसी दिन उपस्थित आवेदनकर्ताओं के समक्ष सांय 5.00 बजे से शुरू कर दिया जावेगा। एक आवास/फ्लैट के लिए एक से अधिक विकल्प प्राप्त होने पर लॉटरी द्वारा उपस्थित आवेदकों के सामने आवंटन किया जावेगा। असामान्य परिस्थिति होने पर लॉटरी कार्यक्रम पृथक से निर्धारण करने हेतु मण्डल स्वतंत्र होगा।

3. पंजीकृत आवेदकों को आवास/फ्लैटों का आवंटन वर्षानुसार वरीयता की प्राथमिकता के क्रम में किया जावेगा।
4. नगद भुगतान पद्धति के अन्तर्गत आवास/फ्लैट की मांग राशि आवेदक को तीन माह में जमा करानी होगी, एवं आवंटन पत्र अनुसार देय राशि जमा नहीं कराने पर आवास/फ्लैट निरस्त होने की स्थिति में जमा पंजीकरण राशि नियमानुसार कटौती कर शेष राशि बिना ब्याज के लौटा दी जावेगी।
5. इस योजना में आवेदक से आवेदन पत्र में केवल एक ही योजना/अपार्टमेन्ट में एक ही आय वर्ग का एक ही प्रकार के आवास/फ्लैट का विकल्प स्वीकार किया जायेगा। यदि आवेदक एक से अधिक आवास/फ्लैट लेना चाहता है तो अलग-अलग आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा।
6. इस योजना में असफल आवेदक अपना डीडी अगले कार्य दिवस में प्राप्त कर सकेंगे एवं अन्य आवास/फ्लैट के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकेंगे।
7. आवेदक आवेदन पत्र के साथ नियमानुसार उसके आय वर्ग के अनुसार राशि का बैंक ड्राफ्ट चित्तौड़गढ़ जिले की योजनाओं हेतु राजस्थान आवासन मण्डल, चित्तौड़गढ़ के पक्ष में के पक्ष में देय बनवाकर जमा कराना होगा।
8. प्रस्तावित आवास/फ्लैटों का आवंटन "जहाँ है जैसे है" उसी स्थिति में किया जायेगा। इस सम्बन्ध में भविष्य में किसी प्रकार का आक्षेप मान्य नहीं होगा।
9. किसी भी विवाद की स्थिति में खुली बिक्री योजना में सम्मिलित आवास/फ्लैट को विलोपित किया जा सकता है।
10. अन्य जानकारी के लिए कार्यालय में सम्पर्क किया जा सकता है।

—: सम्पर्क सूत्र :—

निम्बाहेड़ा योजना हेतु	सैंती सेगवा योजना हेतु	बड़ीसादड़ी योजना हेतु
कार्यालय परियोजना अभियंता (व.) राजस्थान आवासन मण्डल उपखण्ड निम्बाहेड़ा Mob. 99832-51518	कार्यालय आवासीय अभियंता, राजस्थान आवासन मण्डल, 1-बी-48, सैंती सेगवा हॉउसिंग बोर्ड, चित्तौड़गढ़ (राज.) Mob. 99839-93913	कार्यालय परियोजना अभियंता (व.) राजस्थान आवासन मण्डल उपखण्ड बड़ीसादड़ी Mob. 99832-51518